. No. 13

निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 04/2012 (RCMS 2012/ 00001) अनवानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर जरिए आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम 1. **गीता पत्नि** श्री नानकराम 2. **सोमी पुत्री** श्री नानकराम 3. **सुमित्रा पुत्री** श्री नानकराम 4. **भागवन्ती पुत्री** श्री नानकराम 5. **मन्जू पुत्री** श्री नानकराम 6. **हरीराम पुत्र** श्री नानकराम 7. **हेतराम पुत्र** श्री नानकराम अकवाम ब्राह्मण निवासियान रंगमहल तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 8. **सलीम मोहम्मद** पुत्र मुश्ताक अली 9. **फारूक पुत्र** श्री मुश्ताक अली 10. **अनवर पुत्र** श्री मुश्ताक अली 11. **रज्जाक अली पुत्र** श्री मुश्ताक अली 12 **नदीम पुत्र** श्री मुश्ताक अली अकवाम मुसलमान निवासियान मकान नम्बर 366, केयर ऑफ शहनाज ब्यूटी पार्लर, राजेन्द्रा स्कूल के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

17.07.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह शेखावत की पर्चा पैरवी पर श्री गोपाल सिंह राठौड, अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी /15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी नगरपरिषद् श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत **गीता पत्नि नानकराम वगैरहा को आवंटित पट्टा संख्या 281 दिनांक 04.06.1984 अहाता संख्या 366, पुरानी आबादी की भूमि का 300 वर्गमीटर के आदेश को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी** और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने उक्त निगरानी दिनांक 15.10.2012 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी और **अप्रार्थी स्वर्गीय श्री नानक राम को आवंटित अहाता न. 366 की भूमि के हिस्से का 300 वर्गमीटर निरस्त करने की प्रार्थना की थी । नानकराम ने उक्त अहाता मुश्ताक अली को बेचान कर दिया था इसलिए प्रार्थी ने** यह निगरानी नानकराम एवं मुश्ताक अली के वारिसों के विरूद्ध पेश की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर बनाम गीता वगैरहा (1) को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर आदेश की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर